उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

दिनांक 23.10.2017 को आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही

निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिया गया :-

(1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध आवंटन सीधे जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी निकासी संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा कोषागार से किया जाना है, विस्तृत जानकारी राज्यादेश में वर्णित है। नियमानुसार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि सुनिश्चित करते हुए भौतिक उपलब्धि के विरूद्ध अनुदान की राशि कोषागार से निकासी करना सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्य के विरूद्ध यदि Parent Child A/c से व्यय किया जा चुका है तो उक्त व्यय राशि का समायोजन संसूचित आवंटन से कोषागार से निकासी कर सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्य के विरूद्ध किसी भी परिस्थिति में Parent Child A/c में उपलब्ध राशि से भुगतान नहीं किया जाय।

(2) वित्तीय वर्ष 2016-17 के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के भौतिक उपलब्धि के विरूद्ध द्वितीय किस्त के अनुदान भुगतान Parent Child A/c में उपलब्ध राशि से किया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत निदेश कार्यालय पत्रांक 1087 दिनांक 26 जुलाई, 2017 द्वारा सभी सहायक निदेशक उद्यान को संसूचित किया जा चुका है।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत् जिलावार एवं फसलवार भौतिक उपलब्धि के आलोक में कृषकों को अुनदान का भुगतान DBT कार्यक्रम के तहत् 10 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाय।

(4) सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण द्वारा बताया गया कि कृषकों द्वारा टिश्यू कल्चर केला की माँग आज भी किया जा रहा है। निदेशक उद्यान द्वारा स्पष्ट किया गया कि तकनीकी दृष्टिकोण में टिश्यू कल्चर केला लगाने का समय 30 सितम्बर तक ही निर्धारित है। इस सन्दर्भ में कृषकों को जागरूक किया जाय।